राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.10(195)नविवि / 3 / 2010 जयपुर, दिनांकः यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.08.2010 द्वारा अधिसूचित ''नदबई, जिला भरतपुर के नगरीय क्षेत्र'' के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान–2031 का अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

नगर पालिका, नदबई द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित संशोधनों एवं आमजन से प्राप्त आपत्ति / सुझावों के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अनुसरण में यह नोटिस दिया गया है कि नदबई के नगरीय क्षेत्र अनुमोदित मास्टर प्लान–2031 (संशोधित) अनुमोदन कर दिया गया है।

नदबई मास्टर प्लान–2031 में किये गये संशोधन का अवलोकन कार्यालय नगरपालिका नदबई में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है। यह मास्टर प्लान–2031 (संशोधित) नगरीय विकास विभाग की Website: https://urban.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, भरतपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।

9. अतिरिक्त निदेशक / प्रौग्रामर, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नदबई।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–प्रथम

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :21-08-2025 03:57:18

RajKaj Ref No.: 17301988
eSign DSC